न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी—विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10 / 2023	01.02.2023	12.12..2023

उनवान

1. ज्ञानमल पुत्र गणेश खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा तहसील व भीलवाडा।
2. गीता पुत्री भुरालाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. घीसी देवी पत्नि स्व. चुन्नीलाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा
4. छगनी बाई पुत्री नानुराम खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
5. देवीलाल पुत्र गणेश खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
6. नीतु पुत्री चुन्नीलाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
7. भागुती पत्नी स्व. भुरालाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
8. भारत पुत्र चुन्नीलाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
9. मक्खन पुत्र चुन्नीलाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
10. मुकेश पुत्र सुरेश खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
11. रतनी पत्नी स्व. सुरेश खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
12. ममता पुत्री चुन्नीलाल खटीक निवारसी दादाबाडी भीलवाडा।
13. रमेश पुत्र गणेश खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
14. रामगणी पुत्री चुन्नीलाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
15. सत्यनारायण पुत्र भुरालाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
16. सुमित्रा पुत्री भुरालाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री विनोद कुमार पुत्र रामेश्वरलाल धोबी निवासी तेजाजी रोड भीलवाडा।
2. श्रीमति लीला देवी पत्नि रामकुमार चौधरी निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
3. सीतादेवी पत्नी लादुलाल चौधरी निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
4. गणेश पुत्र भागीरथ जाट निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
5. सुखा पुत्र भागीरथ जाट निवासी हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
6. नगर परिषद भीलवाडा जरिये नगर परिषद भीलवाडा।
7. नाथी पुत्री गणेश खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
8. पुष्पा पुत्री चुन्नीलाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
9. मीरा पुत्री चुन्नीलाल खटीक निवासी दादाबाडी भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री विकास जासवाल
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 06 फारूक मंसूरी
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7,8,9 राजीव राठी
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: **निर्णय** :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा हरणीकलां प0ह0 हरणीकलां भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071—2074 के खाता संख्या 473 की अभिलिखित आराजियात आराजी

संख्या 1835/412 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 4, 5 नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। विपक्षी संख्या 06 का जवाब प्रस्तुत नही जवाब का अवसर बन्द किया जाता है।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। जिस पर वकील अप्रार्थी संख्या 7,8,9 प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की गई।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा हरणीकलां प0ह0 हरणीकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 473 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1835/412 रकबा 0.1138 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.12..2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार) 12.12.2023
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा